न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....743/2021

(कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 3269/2023)

सरकार बनाम फिरोज आदि

अंतर्गत धारा–147,148,452,307/149,504 भा०द०सं०

थाना–मसूरी गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–375/2019

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण फिरोज एवं आशिक अली को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 16.05.2019 को समय 10.00 बजे रात्रि स्थान डासना अंतर्गत सीमा थाना मसूरी जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण ने चार अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करते हुए बलवा करने के लिए अवैध समूह का निर्माण किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–147 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उक्त अवैध समूह का निर्माण कर तमंचा, लाठी, डंडे व सरियों जैसे घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–148 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर एकराय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी दिलशाद व उसके परिजनों इमरान, शोएब, अब्दुल रज्जाक को जान से मारने की नीयत से लाठी, डंडे, सरिए व तमंचे से हमला कर इस आशय, ज्ञान व परिस्थिति में गंभीर चोटें पहुंचाई कि यदि आपके द्वारा पहुँचाई गई चोटों से उनकी मृत्यु हो जाती तो आप अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–307/149 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी के भाई जमशेद के घर में घुसकर उपहति कारित करने के आशय से गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–452 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर एकराय होकर लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से वादी व उसके परिजनों को गाली गलोच देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2024.06.04 13:50:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आप अभियुक्तगण का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक 04.06.2024

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 04.06.2024